न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 33/2014 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2014/00059)

श्रीमती अन्नपूर्णा पालीवाल पत्नी श्री यज्ञदत्त जाति ब्राह्मण निवासी 53 रनजीत नगर भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी भरतपुर दिनांक 10.1.2014 व मुकदमा प्रकरण प्रार्थना पत्र प.9/369/एलआरएक्ट रूल्स/07/2011 उनवानी श्रीमती अन्नपूर्णा बनाम राजस्थान सरकार

उपस्थितिः–

1. श्री राजेश कुमार सोगरवाल वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

निर्णय

दिनांकः– 25.7.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 10.1.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 369 एल आर एक्ट रूल्स 1957 विरूद्ध रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि गत खसरा नम्बर 506/2.01, 507/1.02, 513/1.09, 516/1.14, 525/1.13, 526 मिन/1.07 किता किता 6 रकबा 9 बीघा 06 विस्वा जिसके हाल सैटिलमेन्ट में नवीन खसरा नम्बर 535/0.51, 541/0.22, 544/0.30,

25.7.2022
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

548/0.20, 544/585/0.27, किता–6 रकबा 1.60 बि0 स्थित ग्राम टोटपुर तहसील व जिला भरतपुर बने हैं, को एक पार्टनरशिप फर्म मै0 महालक्ष्मी इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन के लिये दिनांक 21.6.71 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा कय किया था। जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/2, अन्य पार्टनर जगदीश पुत्र भूरालाल का हिस्सा 1/4, गोपाल प्रसाद अग्रवाल पुत्र माधोप्रसाद का हिस्सा 1/4 था। दिनांक 1.12.71 को एक अन्य पार्टनरशिप डीड तैयार की गई। जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 45 प्रतिशत, जगदीश प्रसाद का हिस्सा 22.5 प्रतिशत, गोपाल प्रसाद का हिस्सा 22.5 प्रतिशत, हुकमचन्द का हिस्सा 10 प्रतिशत रखा गया। परन्तु फर्म नहीं चल पाने से नुकसान में जाने लगी तो सभी पार्टनरों ने दिनांक 12.7.73 को एक विघटन पार्टनरशिप डीड को तैयार कर उसे उपपंजीयक भरतपुर से पंजीबद्ध कराया। इस नई डीड के अनुसार शेष तीनों पार्टनरों को उनकी हिस्सा राशि भुगतान कर एक मात्र मालिक प्रार्थीया शेष रही। वादग्रस्त आराजी को फर्म के नाम कय किया था। परन्तु फर्म विघटन के फलस्वरूप एक मात्र मालिक प्रार्थीया रह जाने से आज दिनांक तक राजस्व अभिलेख में हाल खसरा नम्बर 548 व 544/585 पर अकेले प्रार्थिया के नाम इन्द्राज नहीं हुये हैं। अन्य खसरा नम्बर 541–544–548 पर प्रार्थीया के नाम इन्द्राज हो चुके हैं। उसने हाल खसरा नम्बर 548 व 544/585 पर अकेले स्वयं के नाम इन्द्राज किये जाने की प्रार्थना की गई।

तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही प्रार्थना पत्र के तथ्य पूर्णतया सिद्ध नहीं होने एवं धारा 369 राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 उपखण्डाधिकारियों के भू0 अभिलेख के संबध में न्यायिक कर्तव्यों का वर्णन करती है। प्रार्थीया ने विवादास्पद हस्तान्तरण आदेश का न तो जिक किया है न उसे पेश किया है। प्रर्थना पत्र धारा 369 राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स मैन्टेनेबिल नहीं है। तदनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.1.2014 पारित करते हुये प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य एवं

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

किया पत्र के विपरीत गये तथ्य स्वविवेक से तैयार करते हुये खण्डनाधीन आदेश पारित कर दिया है जो कतई विधिसंगत नहीं है। इस प्रकार तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार बाहर पारित किया है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश जेर निगरानी में अपीलान्ट के हक में तथ्य नम्बरान की ही सही प्रवृष्टियों के बारे में बिना किसी क्षेत्राधिकार के प्रकरण को उलझा दिया है, जबकि अपीलान्ट का साधारण तौर पर यह कथन रहा है कि पूर्व अपीलान्ट ने साझीदारों के साथ आराजी को खरीदा तथा एक फर्म बनाई उक्त फर्म एवं पार्टनरशिप का विघटन हो गया । विघटन पत्र को पंजीकृत कराया गया जिसके तहत सभी हिस्सेदारान ने फर्म एवं पार्टनरशिप का दायित्व अपीलान्ट को सौंप दिया तथा अपने दायित्वों से मुक्त हो गई तथा विवादित आराजी की एकल स्वामी खातेदार अपीलान्ट को बना दिया गया । ये समस्त तथ्य तहत न्यायालय के समक्ष पेश किये गये है फिर भी न्यायालय तहत ने खण्डनाधीन आदेश में यह फाईंडिंग दी है कि सभी सह खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि कोई सहखातेदार शेष नहीं रहा और जब विघटन पत्र पत्रावली पर मौजूद है तो उन्हें पक्षकार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार न्यायालय तहत ने अपना न्यायिक विवेक इस्तेमाल न करते हुये रिकार्ड के विपरीत आलौच्य आदेश जेर अपील पारित कर दिया है जो काबिल निरस्त योग्य है। यह कि न्यायालय तहत ने आलौच्य आदेश में कृषि भूमि से अकृषि भूमि का रूपान्तरण कराने व औद्योगिक गतिविधियां सम्पन्न होने आदि के तथ्यों का भी हवाला दिया है जबकि ये तथ्य हस्तगत प्रकरण से संबधित नहीं है, क्यों कि एक फर्म गठित हुई परन्तु उस फर्म ने कोई औद्योगिक गतिविधियां प्रारम्भ नहीं की बल्कि प्राथमिक स्टेज पर ही पार्टनरशिप का विघटन हो गया । ऐसी सूरत में यदि किसी फर्म के नाम से आराजी खरीद ली जाती है तो क्रय किये जाने मात्र से भूमि रूपान्तरण करवाया जाना आवश्यक नहीं है फिर भी न्यायालय तहत ने इस असंबधित तथ्यों को अंकित करते हुये आलौच्य आदेश पारित कर दिया है जो काबिले मंसूखी है। यह कि नकल मिलने की समयावधि को शुमार करते हुये अपील अन्दर मियाद है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश उपखण्डाधिकारी भरतपुर दिनांक 10.1.2014 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 369 राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स को स्वीकार फरमाया जावे।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वकील रैस्पोडेन्ट/राजकीय अधिवक्ता द्वारा तहत अदालत उप जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.1.2014 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.01.14 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक तथा सरकारी पैरोकार की बहस सुनने व मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलाधीन निर्णय में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय स्पीकिंग व तथ्यों के आधार पर पारित किया है। जहां तक वकील अपीलान्ट यह तर्क कि विवादित आराजी को साझेदारों द्वारा फर्म के माध्यम से कय किया गया तथा फर्म के गठन के बाद फर्म व पार्टनरशिप का विघटन होने के कारण विघटन पंजीकृत कराया तथा अपीलान्ट को ही समस्त दायित्व सौंप दिए गए तो इस संबंध में न तो अदालत मातहत में व न ही अदालत हाजा में कय पत्र पार्टनरशिप डीड विघटन पत्र व पंजीकृत विघटन पत्र की प्रमाणित/असल प्रति पेश की है। अदालत मातहत में केवल फोटोप्रतियां पेश की है जिनको कि साक्ष्य के रूप में ग्राहय नहीं कही जा सकती हैं। दूसरी ओर अदालत मातहत ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात के संबंध में अपीलाधीन निर्णय में समुचित विवेचन करते हुए उल्लेख किया है कि अपीलान्ट प्रार्थी ने हाल खसरा नं0 544/585 रकवा 0.27 हैक्टै0 का मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया है। इसी प्रकार अपीलान्ट प्रार्थिया ने अदालत मातहत या अदालत हाजा में फर्म के नाम वर्णित भूमि स्वयं अकेले के नाम दर्ज होने की भी कोई जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की गई है। अदालत हाजा में खसरा नं0 545 व 541 स्वयं की खातेदारी दर्ज होने के जमाबन्दी पेश की है। परन्तु जिन खसरा नम्बरान के संबंध मे अपीलान्ट प्रार्थिया द्वारा अनुतोष चाहा जा रहा है उनके संबंध में मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की है। अपीलाधीन निर्णय में विद्वान उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने प्रार्थिया/अपीलान्ट द्वारा जिन खसरा नम्बरान के बारे में अनुतोष चाहा गया है, के संबंध में स्पष्ट अभिमत

25.7.2022
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

...ता है ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.01.2014 मे हम किसी तरह का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.01.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.7.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल ...)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर